न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष ,

निगरानी प्रकरण कमांक 3396–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–2012 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, इंदौर प्रकरण कमांक 6/अ–70/2011–12

मेसर्स सचिन लीजिंग एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0
पता–2 फेयरडील मोटर्स बिल्डिंग,
ए0बी0 रोड, इंदौर तर्फे डायरेक्टर
श्री सचिन पिता श्री रमेश शर्मा

.....आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमती कमलाबाई पति स्व0 नाथूलालजी
आयु वयस्क, व्यवसाय गृहकार्य
निवासी– 147–बी, राधानगर, इंदौर
2 श्री अशोक पिता स्व0 नाथूलालजी
आयु वयस्क, व्यवसाय–नौकरी
निवासी–147–बी, राधानगर, इंदौर
3 श्री महेश पिता स्व0 नाथूलालजी
आयु वयस्क, व्यवसाय–नौकरी
निवासी–147–बी, राधानगर, इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री विनीत जोशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय चौहान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 मई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसीलदार इंदौर द्वारा पारित आदेश 30–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हुक्माखेडी तहसील इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 67/2/5/ख/1 रकबा 0.016 हैक्टेयर, सर्वे कमांक 67/2/9 रकबा 0.138 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 67/2/10 रकबा 0.134 हैक्टेयर अनावेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है । उक्त भूमि का अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमाकंन किया जाकर पंचनामा एवं फील्ड बुक तैयार की गई है, जिसके अनुसार अनावेदकगण की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा हटाने बाबत योग्य आदेश पारित किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/11–12 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित भूमि है और व्यपवर्तित भूमि पर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, अतः अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–8–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 29–4–2014 को प्रस्तुत तर्को में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि तहसीलदार द्वारा जिस सीमाकंन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है, उक्त सीमाकंन में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः ऐसे सीमाकंन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित होने से संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, इस कारण भी तहसीलदार को अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और दिन प्रतिदिन के विलंब का कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि सीमाकंन की विधिवत सूचना आवेदक को दी गई है और सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर सूचना पत्र पर है ।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस भूमि का सीमाकंन कराया गया है वह व्यपवर्तित भूमि नहीं है, क्योंकि व्यपवर्तन आवेदक की भूमि का हुआ है अनावेदकगण की भूमि का नहीं। उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा सीमाकंन प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित सीमाकंन प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं हुआ है, अतः तहसीलदार द्वारा अपूर्ण सीमाकंन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की जा रही है, इसलिये तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रीम्योच्योर है, क्योंकि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही अंतिम सीमाकंन आदेश के आधार पर ही की जा सकती है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, तहसील इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/11–12 में की जा रही कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर